हुक्म या कार्यवाही मय इशारात ...	हुक्म की तामील में जारी हुए
के हिस्से की भूमि का बंटवारा चाहा गया लेकिन उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 कैलाश स्वयं का हिस्सा अन्य व्यक्तियों को बैन्यान जा चुका है। जो इस वाद में पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में भूमि का बंटवारा किया संभव नहीं है वादी का प्रश्न है तो उसके हिस्से में ख. सं. 72/841 में से 4 बीघा, ख. सं. रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख. सं. 177 रकबा बीघा 6 बिस्वा कुल 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि ती है जिस पर वह काबिज भी है। उक्तानुसार दौराने केम्प कोर्ट पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्राप्त रिपोर्ट में यह तथ्य आये है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी भूमि का बैन्यान किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी का दायित्व था कि वह वाद में भूमि के क्रेता को आवश्यक पक्षकार बनाता। लेकिन वादी उक्त तथ्य रेकार्ड में नहीं लाये। इसी प्रकार वादी के द्वारा अपना वाद भी मुख्य रूप से प्रतिवादी सं. 1 से विभाजन एवं उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ही प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा भूमि बैन्यान कर दिये जाने एवं क्रेता वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादकारण स्वतः ही समाप्त हो चुका है अतः वाद वादी पक्षकारों के कुसंयोजन के अभाव में एवं कोई वादकारण शेष नहीं रहने से खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। प्राप्त रिपोर्ट शामिल फैसले में शुमार होकर क्र.सं. हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे। [signature]	